महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–12 लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 9166 / 12–एल (1) / 2016, दिनांकः 14 –12–2017

विषयः प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का समयबद्ध व गुणवत्तापूवर्क निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु परिषद / शासन की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं एवं इस सम्बन्ध में पूर्व से विद्यमान नियमों / विधानों का सरलीकरण कर उन्हे अधिक स्पष्ट, सरल एवं प्रभावी बनाते हुए तद्नुरूप वादों के निस्तारण हेतु शासन / परिषद स्तर से समय समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के बावजूद समीक्षोपरान्त यह परिलक्षित हुआ है कि परिषदादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से न होने के कारण वादो का निस्तारण समयबद्ध रूप से नहीं हो पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावित पक्षकार वादो के शीघ्र निस्तारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय में जाने हेतु बाध्य हो रहे हैं।

उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद स्तर से राजस्व वादों के निस्तारण हेतु समय–समय पर निर्गत परिषदादेशों– संख्या– 1086 / 12–एल(1) / 2016, दिनांक 08.03.2017, संख्या– 1451 / विविध / 13(न्याय), दिनांक 26.04.2017, संख्या– 3204 / 13 (न्याय), दिनांक 06.10.2017 व संख्या– 3525 / 13(न्याय), दिनांक 08.11.2017 में दिये गये निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनश्चित कराया जाये जिससे की वादकारियों को सहज, सुलभ एवं त्यरित न्याय प्राप्त हो सकें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों एवं राजस्व न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराना व कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2— निजी सचिव, समस्त मा0 सदस्यगण (प्रशासनिक एवं न्यायिक), राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3— प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5— गार्ड फाईल।

14/12/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।